फरीदाबाद में पार्क हो रहे छोटे, बच्चे कहां खेलें, सारी रोक-टोक उन्हीं के लिए

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: शहर के पार्क सिकुड़ते जा रहे हैं और बच्चों के खेलने-कूदने की जगहें खत्म होती जा रही हैं। अधिकांश पार्कों में जिम मशीनें लग चुकी हैं या किन्ही और वजहों से पार्क छोटे हो गए हैं। कई सेक्टरों और इलाकों में आरडब्ल्यूए पर कब्जा जमाए बैठे कुछ स्वयंभू पदाधिकारियों ने पार्कों में बच्चों के खेलने पर रोक लगा दी है। नगर निगम फरीदाबाद जो ऐसे पार्कों की देखभाल करने में असमर्थ है, वह पूरी तरह आरडब्ल्यूए पर निर्भर है। एमसीएफ अफसर ऐसे फैसलों को चुपचाप स्वीकार कर रहे हैं। हाल ही में सेक्टर 16 में एक पार्क में तो बाकायदा नगर निगम की ओर से बोर्ड लगा दिया गया है कि पार्क के अंदर बच्चे क्रिकेट या फुटबॉल नहीं खेल सकते।

मजदूर मोर्चा ने पिछले अंक में पार्कों में पेड़ काटे जाने के मामले को उठाया था। पार्कों में ओपन जिम मशीन लगाने के लिए कई पार्कों में पेड़ काट दिए गए। एनआईटी के रोज गार्डन में काटे गए पेड़ों की फोटो भी प्रकाशित की गई थी।

सारी पाबंदी बच्चों के लिए

पार्क में बच्चों के खेलने-कूदने पर रोक लगाने से सहमति जताने वालों का कहना है कि पार्क सिर्फ घूमने फिरने के लिए है। इनमें बुजुर्ग और महिलाएं भी आती हैं। लेकिन अगर इनमें बच्चों को खेलने-कूदने दिया गया तो बुजुर्गों और महिलाओं को चोट लग सकती है। लेकिन पार्कों में बच्चों के खेलने पर जोर देने वालों का कहना है कि पार्कों में सैर करने वाले या तो बिल्कुल सुबह या फिर देर शाम को जाते हैं। जबकि बच्चे दिन में समय निकालकर खेलने के लिए जाते हैं। अंधेरा होते ही ज्यादातर बच्चे घरों को चले जाते हैं। कुछ लोगों का तो सुझाव है कि अगर पार्क बड़ा है तो उसे दो हिस्सों में बांट दिया जाए। एक हिस्से में बच्चें खेलें और दूसरे हिस्से में बुजुर्ग और महिलाएं सैर कर सकते हैं। जो पार्क छोटे हैं, उनमें बच्चे वैसे भी खेलने के लिए नहीं आते हैं। क्रिकेट या फुटबॉल, हॉकी में बड़ी फील्ड की जरूरत पड़ती है तो बच्चे खुद ही बड़े पार्कों में जाते हैं।

सेक्टर 12 में सरकारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स है लेकिन हर बच्चे का घर उसके आसपास नहीं है तो सारे बच्चे सेक्टर 12 में खेलने नहीं जा सकते। हालांकि ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों के ज्यादा मेडल लाने पर कभी खट्टर सरकार ने घोषणा की थी कि अब हर शहर में कम से पांच-छह स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स और हर गांव में स्टेडियम होंगे, ताकि हमारे खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा मेडल अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ला सकें। लेकिन खट्टर सरकार ने पिछले छह साल में किसी नए स्टेडियम या कॉम्प्लैक्स की नींव तो नहीं रखी, अलबत्ता कुछ के नाम बदल दिए।

पार्क में कुत्तों पर रोक क्यों नहीं

एक तरफ तो पार्कों में बच्चों को खेलने कूदने से रोका जा रहा है तो दूसरी तरफ पार्कों में लोग अपने कुत्ते को घुमाने के बहाने से फ्रेश कराने ले जाते हैं। जिन पार्कों में कुत्ता घुमाने पर रोक है, वहां के लोग अपने कुत्ते को दूसरों के घर के सामने या उनके गार्डन में फ्रेश कराने की कोशिश में जुटे रहते हैं। इसे लेकर कुछ सेक्टरों में तनातनी के हालात भी बन चुके हैं और नौबत एफआईआर तक जा पहुंची है। भारत में कुत्ता पालने वाले अमेरिका या इंग्लैंड के लोगों की तरह इतने जागरूक भी नहीं हुए हैं कि कुत्ते को टहलाने के समय उसके पोट्टी करने का इंतजाम लेकर चलें। सार्वजनिक स्थलों पर और दूसरों के घर के सामने कुत्तों को शौच कराने पर जब ऐतराज होता है तो लोग फौरन मेनका गांधी के संगठन को याद करते हैं। पार्कों में कुत्ते घुमाने के समर्थकों का कहना है कि कुत्ता निरीह प्राणी है। उसकी वजह से पार्क खराब नहीं होता है। लोग बेवजह का मुद्दा बनाते हैं। जहां तक कुत्तों की पोट्टी की बात है, चिड़िया भी तो पार्कों को अपनी पोट्टी से गंदा करती है। उन पर कोई रोक लगाकर दिखाए।

टाउन पार्क का व्यावसायिक इस्तेमाल

एक तरफ तो सेक्टरों और एनआईटी इलाके के पार्क छोटे होते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ सेक्टर 12 के बड़े टाउन पार्क में व्यावसायिक गतिविधियां खुलेआम चलती हैं। इस पर हूडा (एचएसवीपी) और जिला प्रशासन कोई रोक नहीं लगा पा रहा है। शहर के इस सबसे बड़े पार्क में कुछ लोग अकादमी चलाकर लोगों को जमा करते हैं और फीस लेते हैं। कुछ लोग यहां पर योग सिखाकर पैसे कमा रहे हैं। हालात इतने बदतर हैं कि अगर कहीं कोई अकादमी अपनी ट्रेनिंग करा रही है या योग करा रही है तो वहां टाउन पार्क में घूमने वालों को जाने की मनाही है। उन संस्थाओं के बाउंसर पैदल घूमने वालों को रोक देते हैं। एक-एक अकादमी मुफ्त के टाउन पार्क से फीस के रूप में एक-एक लाख रुपये तक बटोर रही है। बताया जाता है कि हूडा के कुछ अफसरों की मिलीभगत से इस अवैध धंधे का संचालन टाउन पार्क में हो रहा है। इस सारे मामले की जानकारी जिला उपायुक्त को भी लोगों ने दी लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया।

बिजली निगम के पास स्टाफ नहीं, फिर भी कैश लेने पर जोर

चेक से बिल का भुगतान लेने पर लगी रोक, उपभोक्ता बेशक परेशान होते रहें

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम (डीएचबीवीएन) स्टाफ की भयंकर कमी से जूझ रहा है लेकिन बिल भुगतान के लिए पता नहीं क्यों कैश यानी नगदी पर जोर दिया जा रहा है। डीएचबीवीएन का सारा काम धीरे-धीरे प्राइवेट पार्टी को आउट सोर्स किया जा रहा है। समझा जाता है कि कैश हैंडलिंग भी बहुत जल्द प्राइवेट फर्म को जाने वाली है। बिलों की रीडिंग, बिल बांटने का काम बहुत पहले ही आउट सोर्स किया जा चुका है।

चेक लेना बंद किया

डीएचबीवीएन ने बिजली बिल भुगतान की प्रक्रिया आनलाइन, चेक और कैश के रूप में रखी हुई थी। लेकिन हाल ही में उपभोक्ताओं को प्रचार माध्यमों के जरिए बिना बताए बिल भुगतान की प्रक्रिया से चेक को हटा दिया। उसकी जगह उपभोक्ताओं से अब डीडी (डिमांड ड्राफ्ट) लाने का कहा जा रहा है। जो उपभोक्ता चेक लेकर गए, उन्हें लौटा दिया गया। उपभोक्ताओं ने जब डीडी बनवाने पर अतिरिक्त पैसा खर्च होने की बात बताई तो अफसरों और कर्मचारियों से कहा गया कि वे कैश जमा करायें। कैश जमा कराने पर अतिरिक्त पैसा भी नहीं लगेगा। लेकिन ज्यादातर उपभोक्ता चेक प्रक्रिया को आसान मानते हैं। उनका कहना है कि चेक से पैसे जमा करने में न तो ज्यादा समय बर्बाद होता है और न ही कुछ अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन आनलाइन या डीडी बनवाने पर अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं।

कैश पर लगती है लंबी लाइन

डीएचबीवीएन ने बिल भुगतान के लिए ज्यादातर अपने एसडीओ दफ्तरों में या कुछ सेक्टरों में आरडब्ल्यूए के जरिए व्यवस्था कर रखी है। लेकिन कर्मचारियों के अभाव में एसडीओ दफ्तरों में कैश बिल भरने वालों की लंबी लाइन लग रही है। कई बार तो लोगों का नम्बर एक दिन में भी नहीं आता।

लोगों को अगले दिन फिर आना पड़ता है। इस संवाददाता ने खुद देखा कि सेक्टर 19 स्थित एसडीओ दफ्तर में कैश लेने के लिए सिर्फ दो कर्मचारी एक ही खिड़की पर मौजूद थे। दूसरी खिड़की डीडी लेने के लिए खुली थी। एक ही खिड़की पर दो कर्मचारी किस तरह कैश लेते होंगे, इसे आसानी से समझा जा सकता है। कैश लेकर गिनने में अच्छा खासा समय बर्बाद हो रहा है और लाइन भी धीरे-धीरे बढ़ रही है। जनता परेशान होती रहे तो होती रहे इससे बिजली निगम के अफसरों को कोई मतलब नहीं है।

अफसरों के तर्क

डीएचबीवीएन के अफसरों का कहना है कि उपभोक्ता से बिल भुगतान चेक पर न लेने का फैसला उच्चस्तरीय है। इसे फरीदाबाद लेवल पर नहीं लिया गया है। उनका कहना है कि चेक देने की आड़ में कई उपभोक्ता या तो धांधली कर रहे थे या फिर बिजली विभाग के कर्मचारियों की भी इसमें मिलीभगत रहती थी। होता यह था कि जिसका बिल भुगतान बकाया होता था, वो समय पर जमा नहीं कराता था। मांगने पर चेक थमा देता था जिसका पैसा कई दिनों बाद डीएचबीवीएन के खाते में आता था। अगर वह चेक बाउंस भी हो जाता था तो भी डीएचबीवीएन उस उपभोक्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाता था क्योंकि वह उपभोक्ता फौरन दूसरा चेक थमा देता है या फिर कुछ पैसा कैश देने को तैयार हो जाता था। एक बात यह भी थी कि डीएचबीवीएन चेक बाउंस के मुकदमे कहां तक करता और उस केस को लड़ने पर जो सरकारी पैसा खर्च होता वो अलग। इसलिए रास्ता निकाला गया कि चेक से भुगतान लेने की व्यवस्था ही बंद कर दी जाए। हालांकि अधिकारियों ने यह स्वीकार किया कि शहरी इलाकों में ज्यादातर उपभोक्ता बिल समय पर जमा कराते हैं और चेक देकर बाउंस कराने वाले ज्यादातर कंपनी वाले या बड़े बकायेदार थे। लेकिन अफसरों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि डीडी बनवाने या आनलाइन जमा कराने पर जो अतिरिक्त खर्च आ रहा है, उस शोषण का क्या निदान है। अफसरों की ये दलीले उनकी बुद्धि का दिवालिया पन ही उजागर करता है। यदि कोई चेक विभागीय कर्मचारी की वजह से अटकाया जाता है तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई के साथ-साथ संबंधित उपभोक्ता के खिलाफ भी कार्यवाही करने में निगम को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। निगम को किसी अदालत में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके पास कनैक्शन काटने जैसा ब्रह्म अस्त्र मौजूद है।

आधार से जोड़ने का नया तुगलकी फरमान

बिजली निगम इस समय जोरशोर से प्रचार कर रहा है कि सभी बिजली उपभोक्ता अपने खाते को आधार नंबर से जोड़ें यानी बिजली उपभोक्ता आधार के जरिए अपनी केवाईसी अनिवार्य रूप से करायें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले ही मना कर चुका है कि आधार किसी भी केवाईसी के लिए अनिवार्य नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बिजली निगम आधार लेने पर अड़ा हुआ है। अभी तक व्यवस्था यह है कि बिजली निगम को सिर्फ अपने बिल भुगतान से मतलब है। किसी बिल्डिंग का मालिक कौन है, इसका उससे मतलब नहीं था। लेकिन अब अचानक ही उसकी दिलचस्पी बिल्डिंग मालिक का नाम जानने में भी हो गई है। डीएचबीवीएन के कुछ अफसरों का मानना है कि यह तुगलकी फरमान है और इससे हमारी पूरी मैनपावर इस काम को करने में जुटी है। इस वजह से हमारे दूसरे काम रुके हुए हैं। खास बात यह है कि विधायकों, सांसदों, मंत्रियों ने जनता को परेशान करने वाले इस तुगलकी फरमान का विरोध तक नहीं किया। बहुत बड़ी आबादी किराये पर रहती है और उसके मकान मालिक विदेश या दूसरे शहरों में हैं।

अफसरों का कहना है कि इसके जरिए बिजली निगम यह पता लगाना चाहता है कि बिजली कनेक्शन किसके नाम पर है। अगर किसी बिल्डिंग में उपभोक्ता खुद न रहकर किराये पर दे रखा है तो उन हालात में असली मालिक को आधार नंबर से अपने खाते का केवाईसी कराना होगा। जिन्होंने मकान या फ्लैट खरीद लिए हैं लेकिन बिजली के बिल में पता नहीं बदलवाया है, वे फौरन पहले बिजली कनेक्शन अपने नाम करायें और उसके बाद केवाईसी कराने के लिए आधार जमा करायें। बिजली कनेक्शन अपने नाम कराने की योजना इस समय चल रही है। यह बहुत आसान है। मकान की रजिस्ट्री या मालिकाना हक साबित कर मामूली फीस के साथ बिजली कनेक्शन अपने नाम कराया जा सकता है। सभी एसडीओ दफ्तरों में इसकी व्यवस्था है।

आईपीएस क्या जाने दर्द

हरियाणा बिजली निगम के एमडी की कमान इस समय एक आईपीएस शत्रुजीत कपूर के पास है। बिजली निगम एक नॉन टेक्निकल अफसर के हवाले होने के बाद यहां अजीबोगरीब फैसले लिए जा रहे हैं। इससे कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। ज्यादातर काम आउटसोर्स हो चुका है और कुछ को और करने की तैयारी है। जो अफसर घोटालों में पकड़े जा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है।

डीएचबीवीएन के कुछ अफसरों का कहना है कि एक नॉन टेक्निकल अफसर न तो बिजली निगम को समझ पा रहा है और न ही उपभोक्ताओं के दर्द को समझ पा रहा है, इसलिए चेक भुगतान बंद करने जैसे फैसले लिए जा रहे हैं। बड़े अफसर चाहते तो यह भी फैसला ले सकते थे कि चेक से भुगतान की व्यवस्था छोटे उपभोक्ताओं के लिए रखी जाती और बड़ी खपत वाले उपभोक्ताओं या कंपनियों से डीडी, आनलाइन और कैश बिल भुगतान लिया जाता। इससे आम छोटे उपभोक्ताओं का शोषण नहीं होता।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06